

**कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, छत्तीसगढ़, रायपुर**  
वाणिज्यिक कर विभाग, जी.एस.टी. भवन, द्वितीय तल, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19,  
कैपिटल काम्प्लेक्स, नवा रायपुर अटल नगर-492002, फोन : 2512180, ई मेल:-[igreg.cg@nic.in](mailto:igreg.cg@nic.in)

क्रमांक- 189 / त.क.तीन / 14 / 2015

अटल नगर, रायपुर दिनांक : 20/01/2021

प्रति,

समस्त जिला पंजीयक

जिला .....

(छत्तीसगढ़)


विषय :- Business Reform Action Plan-2020 के परिपालन के संबंध में।

—00—

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अन्तर्गत पंजीयन विभाग के सुधार संबंधी बिन्दुओं पर निम्नानुसार कार्यवाही/प्रावधान किया गया है :-

1. रिफार्म का बिन्दु क्रमांक 65 - कम्प्यूटरीकृत पंजीयन से जनित डिजिटल डाटा तथा विगत वर्षों में स्कैन कर उपलब्ध कराये गये कतिपय डाटा के सर्च के लिए पक्षकार द्वारा ऑनलाईन स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था है। ई-पंजीयन पोर्टल <https://epanjeeyan.cg.gov.in/CGSearchWeb> पर ऑनलाईन शुल्क भुगतान किया जाकर सर्च एवं नकल प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है।
2. रिफार्म का बिन्दु क्रमांक 72 - मौजूदा ई-पंजीयन प्रणाली में दस्तावेज पंजीयन हेतु ऑनलाइन आवेदन कर अपान्टमेंट स्लॉट बुक करने की सुविधा उपलब्ध है। ई-पंजीयन वेब पोर्टल <https://epanjeeyan.cg.gov.in/IGRPortalWeb/reckonerSubAction> में Online stamp duty calculator उपलब्ध है। ई पंजीयन प्रणाली में पंजीयन शुल्क Online payment करने की सुविधा है।
3. रिफार्म का बिन्दु क्रमांक 73 - मौजूदा ई-पंजीयन प्रणाली में दस्तावेज पंजीयन हेतु उपस्थित होने के लिए ऑनलाइन appointment (date and time slot booking) का प्रावधान है। ऑनलाईन भुगतान एवं स्वाईप मशीनों की सुविधा सभी पंजीयन कार्यालय में है।
4. रिफार्म का बिन्दु क्रमांक 74 - ई-पंजीयन प्रणाली में सिटीजन के अवलोकन के लिये online dashboard उपलब्ध है, जिसमें प्रतिदिन पंजीबद्ध दस्तावेजों की जानकारी उपलब्ध है, साथ ही दस्तावेज पंजीयन में लगने वाले औसत समय की जानकारी प्रदर्शित की जा रही है।
5. रिफार्म का बिन्दु क्रमांक 75 - ई-पंजीयन प्रणाली में दस्तावेजों के पंजीयन की कार्यवाही उपरान्त, पंजीबद्ध दस्तावेज की स्कैनिंग एवं अपलोड करने के उपरान्त उसी दिन दस्तावेज पक्षकार को लौटाए जाने के निर्देश हैं।

तदसंबंध में अधिनस्थों को अवगत कराते हुए, उक्त प्रावधानों के संबंध में समुचित प्रचार-प्रसार किया जावे।

  
महानिरीक्षक पंजीयन  
छत्तीसगढ़, रायपुर